मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 18–1 / 2009 / 2 / 55 भोपाल,दिनांक 17 दिसम्बर,2009

प्रति,

1– श्री प्रशान्त मेहता,
अपर मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग

2– डा0 राजन कटोच,
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
गृह विभाग

3– श्रीमती अलका उपाध्याय,
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

विषय:–अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों व्दारा राज्य के बाहर कराये उपचार की स्वीकृति बाबत।

---

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों व्दारा राज्य के बाहर कराये गये उपचार के प्रकरणों की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत गठित समिति के समक्ष विचार के लिये प्राप्त हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस समिति का गठन चिकित्सा परिचर्या नियम, 1958 के अन्तर्गत किया गया है। यह नियम राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इस प्रकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के प्रकरण इस समिति व्दारा व्यवहारित नहीं किये जा सकते हैं।

2/–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों में केन्द्र के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये संबंधित विभाग स्वयं सक्षम है। अतः विनम्र अनुरोध है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण, जिनमें कार्योत्तर स्वीकृति अपेक्षित है, का निराकरण भी प्रशासकीय

SCT
17/12/09

1067
दिनांक 17/12/09

विभाग की हैसियत से क्रमशः सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग एवं वन विभाग द्वारा किया जावे। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा इन प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(विजया श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृष्ठक्रमांक एफ 18–1/2009/2/55 भोपाल,दिनांक 17 दिसम्बर,2009

प्रतिलिपि :–

1– पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश ।
2– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश ।
3– संचालक, चिकित्सा शिक्षा ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(विजया श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग